

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 76/2019

निर्णय दिनांक — 28.05.2019

1. शम्भुलाल पिता भागचंद धाकड़, आयु 60 साल, निवासी बरखेड़ा, तहसील मनासा, जिला नीमच, म.प्र.।
2. मु. हगामी बाई पत्नी देवीलाल धाकड़, आयु 52 साल, निवासी शहना तलाई, तहसील सिंगोली, जिला नीमच, म.प्र.।

— प्रार्थीगण

// बनाम //

1. कन्हैयालाल पिता आशाराम धाकड़, आयु 50 साल, निवासी बांगेडा घाटा।
2. कचरी बाई पत्नी नारायण धाकड़, आयु 70 साल, निवासी बांगेडा घाटा।
3. मांगीलाल पिता रामलाल धाकड़, आयु 80 साल, निवासी बांगेडा घाटा।
4. छगनलाल पिता भैरूलाल धाकड़, आयु 65 साल, निवासी बांगेडा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बांगेडा घाटा की खाता संख्या 321 की आराजी नं. 2139/1826 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बांगेडा घाटा की खाता संख्या 321 की आराजी नं. 2139/1826 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 28.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



५०१
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

